क्रम-संख्या–59(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 27 फरवरी, 2018
फाल्गुन 8, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–9

संख्या 299 / नौ-9–2018-45ज / 2017टी0सी0
लखनऊ, 27 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

भारत के 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्देशित सुधारों के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों में वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक और पारदर्शी पद्धति से सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं कर निर्धारण तथा निकायों में वित्तीय संसाधन के सृजन और विकास में प्रभावी परामर्श और संस्तुतियां देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनिमय, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2011) लागू किया गया और उसकी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या 649 / नौ-9–2011, दिनांक 30 मार्च, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, दिनांक 17 अगस्त, 2016 को प्रख्यापित की गयी है।

2–अधिनियम, 2011 की धारा 10 के खण्ड (झ) और नियमावली, 2016 के नियम 19 के उपनियम (1) में बोर्ड की वार्षिक कार्य-योजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने और सरकारी गजट में प्रकाशित करने के प्राविधानों के अधीन बोर्ड की वर्ष 2017–18 की कार्य-योजना निम्नवत् है :–

(1) प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय क्षमता की समीक्षा और राजस्व के संसाधनों की कार्य क्षमता का निर्धारण किया जाना अभीष्ट है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 05 नगर निगम, 15 नगर पालिका परिषद और 25 नगर पंचायतों की वित्तीय क्षमता की समीक्षा और राजस्व संसाधनों की कार्यक्षमता का निर्धारण किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड से अनुमति प्रदान की जायेगी।

(2) नगर निकायों के स्वयं की सम्पत्तियों का विवरण एवं स्वकर निर्धारण की पद्धति से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर बनाया जायेगा। इसे एन0आई0सी0 के माध्यम से बनाये जाने तथा उसके संचालन एवं अनुरक्षण की कार्यवाही की जायेगी।

(3) कर एवं करेतर मदों, प्रयोक्ता प्रभारों तथा लाईसेंस शुल्क आदि का अध्ययन कराया जाना है जिसके लिये विशेषज्ञ संस्थाओं से विचार विमर्श सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

(4) प्रदेश के 06 नगर पालिका परिषदों और 36 नगर पंचायतों से सम्पत्ति कर का निर्धारण अभी तक नहीं कराया गया है, जबकि उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 में सम्पत्ति कर का आरोपण अनिवार्य कर दिया गया है। 02 नव सृजित नगर निगम मथुरा और अयोध्या में भी उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्राविधानों के अधीन कर निर्धारण किया जाना है। इनमें से चयनित निकायों में सम्पत्ति कर निर्धारण हेतु अध्ययन कर संस्तुतियां किये जाने हेतु बोर्ड को अनुमति दिया।

(5) सम्पत्ति कर के पुनरीक्षण के तौर तरीके संस्तुत करने के लिये देश के विभिन्न निकायों की कर प्रणाली और कार्य पद्धति का अध्ययन किया जायेगा तथा अध्ययन कराकर संस्तुतियां शासन तथा सभी स्थानीय निकायों को प्रेषित की जायेंगी।

(6) सम्पत्ति कर के विवादों को न्याय निर्णीत करने के अन्तर्गत सम्पत्ति कर से सम्बन्धित विवाद अभी तक बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। निकायों को इस आशय का पत्र उ0 प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा जारी किया जायेगा।

(7) सम्पत्ति कर मूल्यांकन में पारदर्शिता के दृष्टिगत स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू है। इस प्रणाली को जन प्रिय, सहज सरल और जन साधारण के लिये बोधगम्य में बनाया जाना है। देश की अन्य निकायों के अध्ययन के आधार पर सम्पत्तियों के वर्गीकरण को कम करने, सम्पत्ति कर की गणना की जटिलता को समाप्त करना और इस सुस्पष्ट और पारदर्शी बनाने की कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु नगरीय निकायों का अध्ययन भ्रमण किया जायेगा।

(8) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा करने अथवा नगर पालिका द्वारा अनुरोध किये जाने पर यथापेक्षित प्रयोक्ता प्रभार, संसाधन सृजन और मूल्यांकन में सम्यक् अद्ययनोपरान्त विशेषज्ञतापरक तथ्यात्मक परामर्श दिया जायेगा। इस आशय का परिपत्र उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(9) बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नागर निकायों को संसाधनों में वृद्धि के उपायों के प्रति जागरूक बनाना, सम्पत्ति कर एवं अन्य करों का पारदर्शी तरीके से निर्धारण, डिजिटलाइजेशन, ऑन लाइन स्वकर निर्धारण जैसे अनेक विषयों को सम्यक रूप से परिचित कराने के उद्देश्य से वर्ष में 01 बार राज्य स्तरीय कार्यशाला तथा प्रत्येक मण्डल में 01–01 कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी। इन कार्यशालाओं में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

(10) देश के अन्य राज्यों का भ्रमण कर तथा वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेज की जानकारी कर प्रदेश में उनके अनुप्रयोग हेतु अध्ययन, टिप्पणी एवं संस्तुतियां प्रस्तुत की जायेंगी।

(11) बोर्ड की वेबसाइट के निर्माण संचालन एवं अद्यतनीकरण में एन0आई0सी0 की सेवायें प्राप्त की जा रही हैं। इसे निर्मित कर अद्यावधिक रखा जायेगा।

(12) निकायों के वित्तीय संसाधनों के विकास, वित्तीय प्रबंधन और क्षमता संवर्धन के लिये प्रशिक्षण, कार्यशालाओं के आयोजन के साथ स्वस्थ वातावरण प्रस्तुत करने हेतु अभिमंत/संस्तुति की जायेगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 946 राजपत्र (हि0)–2018–(2901)–588 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 18 सा0 नगर विकास 2018–(2902)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।